पत्रांक–2ब०/जला०–01–03/2019 105 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुंगेर।

पटना, दिनांक–8/3/19

विषयः– **राज्य योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट– B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹7046.943 लाख (सत्तर करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹5128.52 लाख (एकावन करोड़ अठाईस लाख बावन हजार रू०) मात्र में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक–25. जून, 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

SAAP-I में मुंगेर जलापूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. मुंगेर नगर निकाय में जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु PHED द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पूरे मुंगेर शहर में जलापूर्ति किये जाने हेतु PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य को छोड़कर शेष जलापूर्ति योजना का प्राक्कलन राशि ₹19846.693 लाख का है। AMRUT योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के लिए स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹116480.00 लाख का वहन किया जाएगा। AMRUT योजना के अन्तर्गत अबतक 35 जलापूर्ति योजना, 03 ड्रेनेज योजना, 01 FSSM योजना एवं 29 पार्क विकास योजना सहित कुल–68 योजनाएँ स्वीकृत है। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि ₹247685.372 लाख है जिसके व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें केन्द्रांश की

राशि ₹109797.593 लाख की व्यय की स्वीकृति दिया जा चुका है। जिसके कारण मुंगेर जलापूर्ति योजना की पूरी योजना का कार्यान्वयन AMRUT योजना के अधीन किया जाना संभव नहीं है।

तदालोक में मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A प्राक्कलित राशि ₹12799.75 लाख को AMRUT योजना के अधीन और मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि ₹7046.943 लाख को AMRUT योजना के तर्ज पर राज्य योजना के अधीन कराने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 05.03.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं०– 13 के रूप में प्रदान की गई है। इससे संबंधित संकल्प विभागीय ज्ञापांक– 682, दिनांक– 05.03.2019 द्वारा निर्गत है।

3. मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं जलापूर्ति योजना पार्ट–B के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का Vetting PHED के अभियंता प्रमुख से कराया गया है, ताकि कराये जाने वाले कार्यों का Duplication न हो। मुंगेर शहर में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य निम्नवत हैं:–

क्र० सं०	योजना का नाम	PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य का विवरण
1	मुंगेर जलापूर्ति योजना	Water Tower-3(454kLX3), Exisiting Pipeline - 28 Km., WTP - 1 (13.6 MLD)

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं पार्ट–B के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य निम्नवत हैं –

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट A (AMRUT योजनान्तर्गत)	Distribution network 318.20 Km., House Service Connection - 26271,
2	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट B (राज्य योजनान्तर्गत)	Raw Water Rising Main DI-K9 2600m of 600mm dia, Raw Water Pump-(4W+2S) nos. 130HP, (2W+1S) nos, 245 HP Pump, Water Treatment Plant-34 MLD, Over Head Service Reservoirs (OHSR)-5 Nos. (Total capacity 11116kL) Clear water reservoirs-1444kL, Clear water rising main DI-K9-250mm dia lenght-852M, House Service Connection-12650

AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	आनुपातिक केन्द्रांश की राशि 50% of Colomn-3	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 30% of Colomn-3	नगर निकाय का अंशदान	
							Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A (SAAP-I)	11647.628	1152.122	12799.75	5823.814	3494.288	2329.526	1152.122

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–B के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 80% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
						Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–B	6410.65	636.293	7046.943	5128.52	1282.13	636.293

4. वर्णित स्थिति में विभागीय संकल्प सं०– 682, दिनांक– 05.03.2018 के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹7046.943 लाख (सत्तर करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹5128.52 लाख (एकावन करोड़ अठाईस लाख बावन हजार रू०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०– 147, दिनांक– 8/3/19 के आलोक में तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित/स्वीकृत राशि	राज्यांश मद की राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि (5–6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर निगम, मुंगेर	मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट– B	7046.943	5128.52	4029.18	1099.34

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र।

5. उक्त आवंटित ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. (क) उक्त आवंटित राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र में से ₹1029.18 लाख (दस करोड उनतीस लाख अठारह हजार रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–191– नगर निगम को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011910101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

9. (ख) उक्त आवंटित राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र में से ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017890101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

9. (ग) उक्त आवंटित राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र में से ₹600.00 लाख (छः करोड रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

10 योजना बुडको द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी बुडको द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार होगी।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

12. **योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।**

13. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

14. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

17. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8-3-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–03/2019 105 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–8/3/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/ नोडल पदाधिकारी, AMRUT/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8-3-19

सरकार के विशेष सचिव।

आरा.

पत्रांक–2ब०/जला०–01–03/2019 147 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–8/3/19

विषयः– **राज्य योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट– B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹7046.943 लाख (सत्तर करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹5128.52 लाख (एकावन करोड़ अठाईस लाख बावन हजार रू०) मात्र में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक–25. जून, 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

SAAP-I में मुंगेर जलापूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. मुंगेर नगर निकाय में जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु PHED द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पूरे मुंगेर शहर में जलापूर्ति किये जाने हेतु PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य को छोड़कर शेष जलापूर्ति योजना का प्राक्कलन राशि ₹19846.693 लाख का है। AMRUT योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के लिए स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹116480.00 लाख का वहन किया जाएगा। AMRUT योजना के अन्तर्गत अबतक 35 जलापूर्ति योजना, 03 ड्रेनेज योजना, 01 FSSM योजना एवं 29 पार्क विकास योजना सहित कुल–68 योजनाएँ स्वीकृत है। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि ₹247685.372 लाख है जिसके व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें केन्द्रांश की

राशि ₹109797.593 लाख की व्यय की स्वीकृति दिया जा चुका है। जिसके कारण मुंगेर जलापूर्ति योजना की पूरी योजना का कार्यान्वयन AMRUT योजना के अधीन किया जाना संभव नहीं है।

तदालोक में मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A प्राक्कलित राशि ₹12799.75 लाख को AMRUT योजना के अधीन और मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि ₹7046.943 लाख को AMRUT योजना के तर्ज पर राज्य योजना के अधीन कराने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 05.03.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं०– 13 के रूप में प्रदान की गई है। इससे संबंधित संकल्प विभागीय ज्ञापांक– 682, दिनांक– 05.03.2019 द्वारा निर्गत है।

3. मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं जलापूर्ति योजना पार्ट–B के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का Vetting PHED के अभियंता प्रमुख से कराया गया है, ताकि कराये जाने वाले कार्यों का Duplication न हो। मुंगेर शहर में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य निम्नवत हैं:–

क्र० सं०	योजना का नाम	PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य का विवरण
1	मुंगेर जलापूर्ति योजना	Water Tower-3(454kLX3), Exisiting Pipeline - 28 Km., WTP - 1 (13.6 MLD)

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं पार्ट–B के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य निम्नवत हैं –

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट A (AMRUT योजनान्तर्गत)	Distribution network 318.20 Km., House Service Connection - 26271,
2	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट B (राज्य योजनान्तर्गत)	Raw Water Rising Main DI-K9 2600m of 600mm dia, Raw Water Pump-(4W+2S) nos. 130HP, (2W+1S) nos, 245 HP Pump, Water Treatment Plant-34 MLD, Over Head Service Reservoirs (OHSR)-5 Nos. (Total capacity 11116kL) Clear water reservoirs-1444kL, Clear water rising main DI-K9-250mm dia lenght-852M, House Service Connection-12650

AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	आनुपातिक केन्द्रांश की राशि 50% of Colomn-3	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 30% of Colomn-3	नगर निकाय का अंशदान	
							Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–A (SAAP-I)	11647.628	1152.122	12799.75	5823.814	3494.288	2329.526	1152.122

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–B के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत हैः–

(राशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 80% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
						Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
	मुंगेर जलापूर्ति योजना पार्ट–B	6410.65	636.293	7046.943	5128.52	1282.13	636.293

4. वर्णित स्थिति में विभागीय संकल्प सं०– 682, दिनांक– 05.03.2018 के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹7046.943 लाख (सत्तर करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹5128.52 लाख (एकावन करोड़ अठाईस लाख बावन हजार रू०) मात्र में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित / स्वीकृत राशि	राज्यांश मद की राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (5–6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर निगम, मुंगेर	मुंगेर जलापूर्ति योजना, पार्ट– B	7046.943	5128.52	4029.18	1099.34

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक–

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. (क) उक्त स्वीकृत राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र में से ₹1029.18 लाख (दस करोड उनतीस लाख अठारह हजार रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–191– नगर निगम को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011910101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

9. (ख) उक्त स्वीकृत राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र में से ₹2400.00 लाख (चौबीस करोड रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017890101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

9. (ग) उक्त स्वीकृत राशि ₹4029.18 लाख (चालीस करोड़ उनतीस लाख अठारह हजार रु०) मात्र में से ₹600.00 लाख (छः करोड रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

10 योजना बुडको द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी बुडको द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार होगी।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

12. **योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।**

13. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

14. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

15. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01–03/2019 के पृष्ठ सं०–04/टि० पर दिनांक–08.03.2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 05/टि० पर दिनांक–08.03.2019 को प्राप्त है ।

16. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

18. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8-3-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–03/2019 147 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–8/03/19

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/ मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/ नोडल पदाधिकारी, AMRUT/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8-3-19

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द.